POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 09.08.2022

1-कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में महिला के साथ अभद्रता करने वाले वांछित अभियुक्त श्रीकांत त्यागी व उसके 03 सहयोगी गिरफ्तार।

दिनांक- 05.08.2022 को सोशल मीडिया पर महिला के साथ एक व्यक्ति के द्वारा अभद्रता, गाली गलौज व हाथापाई किये जाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर नोएडा पुलिस द्वारा स्वतः त्वरित संज्ञान लेकर पीड़िता महिला से तहरीर प्राप्त कर तत्काल थाना फेस 2 नोएडा पर मु0अ0सं0- 329/22 धारा- 354/323/504/506/447 भादवि बनाम श्रीकांत त्यागी पुत्र स्व0 दिनेश चन्द्र त्यागी मूल पता वर्षा धर्म कांटा भंगेल वर्तमान पता 003 एलेक्जेन्ड्रा डी ग्रांड ओमेक्स थाना फेस 2 नोएडा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त श्रीकांत त्यागी घटना के पश्चात फरार हो गया था। दौराने विवेचना ज्ञात हुआ कि अभियुक्त श्रीकांत त्यागी एक दंबग व आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है। जो अपने गैंग के सदस्य राहुल पुत्र सतवीर निवासी लिसडी थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ के साथ मिलकर, जनता में भय की स्थिति उत्पन्न कर अपने निजी व गैंग के लाभ हेतु आपराधिक गतिविधियां कारित करता है। इस उद्देश्य से उसके द्वारा अपने वाहनो पर प्रतिरूपण व छल करके उत्तर प्रदेश शासन, विधायक आदि का मोनोग्राम लगाकर नागरिकों पर रौब गांठते हुए भय कारित किया जाता था और वाहनो पर वीआईपी नम्बर प्लेटो का प्रयोग किया जाता था । शासन की प्राथमिकता के अनुसार महिला सम्बन्धी अपराधो में "जीरो टॉलरेन्स" की नीति के अनुरूप प्रकरण को बेहद गम्भीरता एंव चुनौती के रूप में लेकर तत्काल अभियुक्त श्रीकांत त्यागी और राहुल की गिरफ्तारी हेतु 12 टीमों का गठन किया गया। अभियुक्त श्रीकांत त्यागी द्वारा उक्त अपराधो से अर्जित किये गये 04 वाहन, जिनमें 02 फोरचूनर कार रजि0नं0 - UP32 KK 0001 व UP 32 HH 0001 तथा 02 टाटा सफारी रजि0 नं0- UP32KS0001 व होण्डा सिविक नं0- HR51AK0700 को कब्जा पुलिस में लिया गया है। उक्त फोरचूनर वाहनो पर उ0प्र0 शासन के चिन्ह व मोनोग्राम लगाये गये थे। अभियुक्त श्रीकांत द्वारा अपराध जगत में रहते हुए अपने सगे चाचा उमेश चन्द त्यागी की लाईसेंसी पिस्टल को जनता में भय पैदा करने के उद्देश्य से रखने की बात प्रकाश आने पर लाईसेंस निरस्त कराने की कार्यवाही की गई है। अतः समाज विरोधी कृत्यो में लिप्त होने के तथ्य पाये जाने पर गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत गैंग लीडर श्रीकांत त्यागी व गैंग सदस्य राहुल उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त श्रीकातं त्यागी के विरूद्ध 25000/- रूपये का पुरूष्कार घोषित किया गया। महिला संबंधी अपराध होने के कारण इस प्रकरण को अत्यन्त गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत अभियुक्त श्रीकांत की गिरफ्तारी हेतु गठित 12 पुलिस टीमों के साथ साथ फिजिकल/ टेक्नीकल सर्विलांस का भी 24X7 उपयोग करते हुए हर संभव प्रयास किया गया । गठित टीमें उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश, रूड़की, उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद , मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ सहित विभिन्न जनपदो में लगातार अभियुक्त श्रीकांत त्यागी की तलाश कर रहे थे और सम्भावित स्थानो / टोल / मार्केट आदि के सीसीटीवी का अवलोकन कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में यह अभियुक्त कई स्थानो पर देखा गया जिससे पुलिस

टीम को उसकी सटीक लोकेशन प्राप्त हुई। अभियुक्त श्रीकांत की लोकेशन अनेकों स्थानों पर मिली परन्तु यह शातिर अभियुक्त टीम के वहाँ पहुँचने से 15-20 मिनट पूर्व ही निकल जा रहा था। पुलिस टीम को मुखबिरो तथा इलैक्ट्रोनिक सर्विलांस से लगातार उसकी लोकेशन प्राप्त हो रही थी और किसी भी समय अभियुक्त की गिरफ्तारी संभंव थी। महिला संबंधी अपराध होने के कारण महिला पुलिस अधिकारी भी इन टीमों को निर्देशित करते हुए निरंतर सहयोग प्रदान कर रही थीं। आज दिनांक- 09.08.2022 को यह जानकारी प्राप्त होने पर ही अभियुक्त श्रीकांत अपने साथी राहुल के साथ ऋषिकेश से चलकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे होते हुए गौतमबुद्धनगर आयेगा और न्यायालय में आत्मसमर्पण का प्रयास करेगा। यह जानकारी प्राप्त होने पर 04 नजदीकी पुलिस टीमों द्वारा परतापुर लूप मेरठ बाईपास पर एकत्र होकर रणनीति बनाकर टीम के सदस्यो को गिरफ्तारी हेतु लगाया गया और कुछ समय पश्चात ग्रे कलर की बलेनो कार रजि0नं0 UP16CV 6665 पर आ रहे उपर्युक्त अभियुक्त श्रीकांत त्यागी को पुलिस के वाहन लगाकर घेर लिया और इस प्रकार उसे मय सहयोगियो के समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्त श्रीकांत व उसके सहयोगियो की गिरफ्तारी पर श्रीमान प्रमुख सचिव गृह महोदय द्वारा 02 लाख रूपये का श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा 01 लाख रूपये का तथा पुरस्कार प्रदान किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण निम्नवत है-

1.श्रीकांत त्यागी पुत्र स्व0 दिनेश चन्द्र त्यागी मूल पता वर्षा धर्म कांटा भंगेल वर्तमान पता 003 एलेक्जेन्ड्रा डी ग्रांड ओमेक्स थाना फेस 2 नोएडा गौतमबुद्धनगर (गैंगलीडर)

2.राहुल पुत्र सतवीर निवासी लिसाडी थाना सिम्भावली जनपद हापुड (गैंग सदस्य)

3.नकुल त्यागी पुत्र स्व0 ओमप्रकाश त्यागी निवासी बरनावा थाना बिनौली जिला बागपत (मददगार)

4.संजय पुत्र श्री कृष्ण निवासी नखलई थाना नसीमपुर जिला फिरोजाबाद (मददगार)

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 099/2007 धारा 387 भादवि थाना फेस-2 सेन्ट्रल नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

2-मु0अ0सं0- 635/2009 धारा 147/148/336/341/427 भादवि व 2/3 क्षति निवारण अधि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना फेस-2 सेन्ट्रल नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

3-मु0अ0सं0- 634/2009 धारा 147/336/427/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना फेस-2 सेन्ट्रल नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुनगर

4- मु0अ0सं0- 449/2015 धारा 147/323/506 भादवि थाना फेस-2 सेन्ट्रल नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्नगर

5-मु0अ0सं0- 386/2007 धारा ¾ गुण्डा एक्ट थाना फेस- 2 सेन्ट्रल नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

6- मु0अ0सं0- 514/2008 धारा 323/325/506/427/308 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबद्ध नगर

7. मु0अ0सं0- 329/2022 धारा 354/323/504/506/447 भादवि थाना फेस- 2 सेन्ट्रल नोएडा कमिश्नरेट गौतमबद्धनगर

8- मु0अ0सं0- 335/2022 धारा 419/420/482 भादवि थाना फेस- 2 सेन्ट्रल नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

9- मु0अ0सं0- 339/2022 धारा 419/420/482 भादवि थाना फेस-2 सेन्ट्रल नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

10. मु0अ0स0-340/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फेस -2 सेन्ट्रल नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है, तदनुसार समस्त अधिकारीगण, थाना प्रभारी गण एवं पुलिस कर्मियों को इस आशय के सख्त निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी महिला के साथ अपराध होने, उनकी गरिमा व सम्मान के प्रतिकूल कोई भी तथ्य प्रकाश में आने पर तत्काल कठोर विधिक कार्यवाही की जाये जिससे उनमें तथा नागरिको में शासन प्रशासन व कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना और बलवती हो सके । साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि नोएडा के विभिन्न आवासीय कालोनियों, सोसाइटीज आदि में अनियमितता, सुविधाओं को लेकर विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की समस्या ज्ञात होने पर तत्काल उसे संज्ञान में लिया जाये तथा अपने स्तर पर और अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर तत्काल निस्तारण कराया जाये जिससे कोई अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो सके । समय समय पर RWA / AOA के पदाधिकारियों से वार्ता कर उपर्युक्त समस्याओं की जानकारी की जाये तथा वार्ता कर सुरक्षा गार्ड्स / सीसीटीवी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये । सुरक्षा गार्ड्स / सीसीटीवी को स्वयं समय समय पर चेक करे तथा मानक के अनुरूप ना पाये जाने पर पदाधिकारियो से वार्ता कर उन्हे व्यवस्थित कराया जाये।

2- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

दिनांक 09.08.2022 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 233/22 धारा 307 भादवि में वाछिंत अभियुक्त अमिताभ बच्चन उर्फ अमित कुमार पुत्र लालाराम निवासी सैनी खेडा, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर को थाना क्षेत्र के दुर्गा गोलचक्कर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद हुआ है।

अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा दिनांक 19.03.2022 को वादी जगतपाल पुत्र छोटे सिंह निवासी सैनाखेडा, थाना मदनापुर, जिला शाहजहाँपुर वर्तमान पता- ग्राम देवला, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर के भाई मोहरपाल के ऊपर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला किया गया था इसके बाद अभियुक्त फरार हो गया था।

अभियुक्त का विवरणः

अमिताभ बच्चन उर्फ अमित कुमार पुत्र लालाराम निवासी सैनी खेडा, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

1.मु0अ0सं0 233/2022 धारा 307 भादवि0 थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 505/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू

3- थाना बिसरख पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल व 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

दिनांक 09.08.2022 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 वाहन चोर आमिर पुत्र निजामुद्दीन निवासी खोदना कला, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के नया हैबतपुर कब्रिस्तान तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 02 स्पलैण्डर मोटरसाइकिल मय 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद की गई है।

अभियुक्त द्वारा दिनांक 24/07/2022 को गौर सिटी मॉल के सामने से स्पलैण्डर मोटरसाइकिल रजि नं0 यूपी 16 सीके 6896 को चोरी कर लिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 446/2022 धारा 379 पंजीकृत है।

अभियुक्त का विवरणः

आमिर पुत्र निजामुद्दीन निवासी खोदना कला, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

1.मु0अ0सं0 446/2022 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 493/2022 धारा 411/414/482 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.01स्प्लैण्डर मोटरसाइकिल इंजन नं0 62799

2.01 स्प्लैण्डर मो0सा0 रजि0नं0 यूपी 16 सीके 6896

3.02 फर्जी नम्बर प्लेट